जीव दया व मानवता परमोधर्म "सत्यमेव जयते"
E-Mail– 9001aasif@gmail.com

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. न. +91-9413609001
Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE **CONTECT DIRECTORY** **NEWS & FACT** **BENEFIT OF GOVT.**

कृषि विपणन निदेशालय जयपुर द्वारा संचालित कृषक साथी योजना

1. कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रो का उपयोग करते हुए दुर्घटना घटित होने पर (जिसमें खेती से संबधित सिंचाई कार्य भी शामिल हैं)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली का करंट लगने व खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रसायनिक दवाईयां आदि का छिडकाव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्य मंडी यार्ड, उप मण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रो पर कृषि यंत्रो का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर–ट्रोली, ऊँट, लढढा, बैल–गाडी, भैंसा–गाडी आदि उल्ट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फेक्चर होने, मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्तिकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्तें में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना या अंग–भंग होने पर।
9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊँटगाडी, आदि घर से खेत में आते–जाते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने पर हुई दुर्घटना (डी स्केल्पिंग) पर।
11. कृषकों/खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीलें जानवर के काटने/ऊँट के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगों के स्थाई रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।
15. कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेड़ों की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर।
16. किसान के खेत में निर्मित डिग्गी में कृषक/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा।

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता राशि (रू. में)
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	2,00,000
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50,000
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	50,000
4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी स्केल्पिंग होने पर	40,000
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी स्केल्पिंग होने पर	25,000
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25,000
7.	चार अंगुली कट जाने पर	20,000
8.	तीन अंगुली कट जाने पर	15,000
9.	दो अंगुली कट जाने पर	10,000
10.	एक अंगुली कट जाने पर	5,000
11.	मण्डी प्रांगण में कार्यरत हमाल/पलेदार/मजदूर मण्डी प्रांगण में कृषि/विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फेक्चर होने पर	5,000